उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार

संख्या :: **263/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनांक :: 05 जनवरी, 2026

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनांक 14 मार्च, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2024 के सापेक्ष अभ्यर्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निस्तारित कर दिये गये है–

क्र.सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री एवं अनुक्रमांक	निस्तारण
01.	श्री सुरज टम्टा (140049)	'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024' के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञापन संख्या– **A-2/E-1/PCS/2023-24,** दिनांक 14 मार्च, 2024 के **बिन्दु संख्या–7 शारीरिक मापदण्ड के नोट–01** में उल्लिखित है कि **"अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक अर्हताऐं रखते हैं।"** यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो वह स्वतः ही ऐसे पदों हेतु अनर्ह घोषित हो जाता है जिनके लिए शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन मे किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
02.	**Shahjahan** (155907)	'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024' के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञापन संख्या– **A-2/E-1/PCS/2023-24,** दिनांक 14 मार्च, 2024 के **बिन्दु संख्या–15 के अनुसार–** "मुख्य/लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता (**Online Preference**) ली जाएगी। पदवार वरीयता (**Preference**) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (**Preference Sheet**) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के

क्र.सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री एवं अनुक्रमांक	निस्तारण
		अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (**Online Preference**) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।" प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के योग, अभ्यर्थी द्वारा पदों हेतु प्रदान की गयी वरीयता तथा अभ्यर्थी द्वारा धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के आधार पर किया जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करता है तथा कोई पद किसी श्रेणी विशेष हेतु आरक्षित रहता है तो उस दशा में अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता के आधार पर पद हेतु विचारित नहीं किया जाता है। साथ ही आरक्षित पदों के सापेक्ष केवल उसी श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थी सफल घोषित किये जाते है। अतः उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन मे किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
03.	**Omkar Taygi**	'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024' के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञापन संख्या– **A-2/E-1/PCS/2023-24,** दिनांक 14 मार्च, 2024 के **बिन्दु संख्या–15 के अनुसार**–"मुख्य/लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता (**Online Preference)** ली जाएगी। पदवार वरीयता (**Preference**) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (**Preference Sheet**) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (**Online Preference**) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।" अतः विज्ञापन के बिन्दु संख्या–15 के अनुक्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये पुनः वरीयता क्रम भरने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुऐ प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

-Sd-

(अशोक कुमार पाण्डेय)

सचिव।